राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

परिवर्तित बजट

2014–15

दिनांक 14.07.2014 को प्रस्तुत
परिवर्तित बजट वर्ष 2014–15 के प्रमुख बिन्दु

योजना परिव्यय तथा अन्य राजकोषीय संकेतक

वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना हेतु बजट में 69820 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। 72 प्रतिशत की वृद्धि।

- वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों में राजस्व अधिशेष 737 करोड़ रुपये।
- वर्ष 2014–15 का राजकोषीय घाटा 20186 करोड़ रुपये, जो GSDP का 3.52% है।
- वर्ष 2014–15 के बजट में बजटीय अधिशेष 3151 करोड़ रुपये रहना अनुमानित है।
- वर्ष 2014–15 के बजट में कुल राजस्व आय 106125 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।
- वर्ष 2013–14 के संशोधित बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व 34452 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2014–15 में 40655 करोड़ रुपये अनुमानित है जो 18 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2014–15 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 7.10 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 10470 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.87 प्रतिशत है।
- पूंजीगत परिव्यय के मदों में वर्ष 2014–15 में कुल 20565 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास

सड़कः

- 20 हजार किलोमीटर की स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक एवं अन्य जिला सड़कों को 70 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकसित किये जाने का एक वृहद योजना। राज्य सरकार द्वारा 20000 करोड़ रुपये का अंशदान।
- प्रमुख मार्गों की 1 हजार किलोमीटर की सड़कों को East-West कोरिडोर के रूप में विकसित किया जायेगा।
- Rajasthan state highway authority का गठन किया जायेगा।
- सड़कों की मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य सुनियोजित ढंग से करने के लिए आउटपुट एण्ड परफोरमेंस बेस्ड रोड कांट्रेक्ट सिस्टम (OPRC) लागू किया जायेगा।
- प्रत्येक पंचायत में एक सड़क का ''ग्रामीण गौरव पथ'' योजना के तहत विकास।
- 250 से 499 तक की आबादी वाले 530 गांवों को विश्व बैंक की सहायता से सड़कों से जोड़ा जायेगा।
- भरतपुर संभाग की चिन्हित सड़कों पर 36 करोड़ 75 लाख रुपये का व्यय।

सड़क परिवहनः

- सभी Nationalised Routes को Phased Manner में De-nationalise किया जायेगा।
- बस अड्डों के सुनियोजित विकास के लिए राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन का गठन किया जायेगा।
- RSRTC के माध्यम से राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन को equity देने के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- RSRTC को रिफोर्म लिंक्ड एजेंडें का commitment पूरा करने पर 10 करोड़ रुपये प्रतिमाह का अनुदान दिया जायेगा।
- राज्य में 16 स्थानों पर कम्प्यूटराईज्ड बोर्डर चेक–पोस्ट और weigh bridges की PPP माध्यम से स्थापना की जायेगी।

हवाई परिवहनः

- पवन हंस के साथ राजस्थान के धार्मिक स्थलों के लिए हैलीकोप्टर सेवा हेतु MoU
- राज्य में intra-state non-scheduled वायु सेवा शुरू की जायेगी।
- राज्य की 16 हवाई पट्टियों का विकास किया जायेगा।
- सवाई माधोपुर में हवाई पट्टी का विस्तार कर क्रियाशील करना।

ऊर्जा:

- विद्युत वितरण निगमों में 75000 हजार करोड़ रुपये की विशाल हानि। लघु अवधि के ऋणों का पुनर्गठन।
- DISCOMS के कर्मचारियों के jobs को सुरक्षित रखते हुए कुछ शहरों में विद्युत वितरण का कार्य पीपीपी आधार पर किया जायेगा।
- राज्य में अगले 5 वर्षों में 6 हजार 500 मेगावाट की नई विद्युत क्षमता स्थापित करने का कार्यक्रम।
- वर्ष 2014–15 में 40 हजार कृषि कनेक्शन 31 दिसम्बर 2013 के वरीयता क्रम के अनुसार जारी किये जायेंगे।
- बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत पूंजीगत राशि जमा कराने पर और बूंद बूंद सिंचाई पर लागू विद्युत शुल्क देने पर कनेक्शन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
- डार्क जोन में कृषि कनेक्शन पर प्रतिबंध की बजाय पूर्ण पूंजीगत लागत एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा कृषि हेतु स्वीकृत दर का पूर्ण भुगतान करने पर कृषि कनेक्शन जारी किया जायेगा।
- डार्क जोन के बाहर सामान्य क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत on demand कृषि कनेक्शन
- उत्पादन एवं प्रसारण कंपनियों के ऋण पूंजी अनुपात को 70:30 में परिवर्तित करना।
- राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन को return on equity की अनुमति।
- उत्पादन निगम एवं प्रसारण निगम की 10 प्रतिशत हिस्सा पूंजी का विनिवेश।
- 169 लंबाई की 400 केवी की double circuit बीकानेर सीकर विद्युत सीकर लाईन का निर्माण पीपीपी आधार पर कराया जायेगा।
- सौर ऊर्जा से 25 हजार मेगावाट क्षमता स्थापित करने के कार्यक्रम से राज्य में शुरू किया जायेगा। इसमें लगभग 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का विनियोजन होगा। राज्य सरकार 1000 मेगावाट या उससे अधिक के सौलर ऊर्जा पार्क में 26 प्रतिशत equity लेगी।
- राज्य में नई सोलर ऊर्जा नीति लाई जायेगी।
- राज्य के 10 हजार कम जनसंख्या वाले दूर–दराज के गाँव–ढाणियों में Local Solar Grid and Stand alone Solar System के माध्यम से विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम
- जैसलमेर,जोधपुर, बाड़मेर एवं बीकानेर जिले में Rajasthan Renewable Energy Transmission Project के तहत 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय कर प्रसारण तंत्र विकसित किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

पेयजलः

- सभी पंचायतस्तरीय पेयजल योजनायें एक बार दुरस्त कर पंचायतों को सुपुर्द की जायेंगी।
- शुद्ध पेयजल हेतु आगामी 5 वर्षों में 5 हजार से अधिक RO अथवा अन्य तकनीकी संयत्र गांवों-ढाणियों में लगाये जायेंगे। इस वर्ष 1 हजार ऐसे संयत्र स्थापित किये जायेंगे।
- चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में लंबित 12 पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 289 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।
- राज्य की सीमाओं पर उपलब्ध पानी को जोड़ने हेतु राज्य में Rajasthan Drinking Water Grid की स्थापना का कार्य शुरू किया जायेगा।
- वाटर चार्जेज को तर्कसंगत बनाया जायेगा।
- Property rates को तर्कसंगत बनाना।

जल संसाधनः

- चंबल की सहायक नदी आहु तथा माही की सहायक नदी बुनाद के बेसिन पर four water concept के तहत कार्य कराये जायेंगे।
- राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण का गठन।
- बीकानेर संभाग की सेम की समस्या के समाधान के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जायेगी।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं जल संसाधन विभाग की 476 किलोमीटर लंबाई की 98 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित।
- आगामी 3 वर्षों में इंदिरा गांधी नहर प्रथम चरण की नहरों की सफाई व मरम्मत के साथ extension, renovation and modernisation आदि के कार्य करवाये जायेंगे।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में लिफ्ट व स्प्रिंकलर सिस्ट्म से चरणबद्ध रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपये की योजना।
- भाखड़ा नगर प्रणाली की शेष नहरों को पक्का कराने हेतु DPR तैयार कराई जायेगी।
- गंग नहर परियोजना के फेज प्रथम में 185 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण।
- सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में 115 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण।
- अमर सिंह सब ब्रांच परियोजना में 55 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालो का निर्माण।
- भाखड़ा नहर प्रणाली की जहां नहरें पक्की बन चुकी है में 451 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण।
- JICA द्वारा पोषित राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के अंतर्गत 35 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित किया जायेगा।
- समर सरोवर–अलवर पुनरूद्धार का कार्य, उबापान–उदयपुर, रोहिणी–उदयपुर लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर कुल 2 हजार 803 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र का सृजन।

http://finance.rajasthan.gov.in

- जिला चित्तौड़गढ़ की बेंगू तहसील में ब्राह्मणी नदी पर बांध का निर्माण कर बीसलपुर बांध में water diversion के कार्य हेतु DPR
- झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में स्थित भीमसागर बांध तथा उसकी नहरों पर 5 करोड़ रुपये का व्यय।
- माही परियोजना, बांसवाड़ा के नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये के कार्य।
- चंबल नहर परियोजना की दायीं मुख्य नहर के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 75 करोड़ रुपये का कार्य।
- बारां जिले में 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से 13 पक्के धोरों का निर्माण कार्य।
- पाली जिले में स्थित जंवाई बाँध के सुदृढ़ीकरण हेतु 5 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत का कार्य।

शहरी आधारभूत संरचनाः

- RUIDP तथा RAVIL का RUIFDCO में विलय कर Rajasthan Urban Drinking, Sewerage and Infrastructure Corporation का गठन।
- राज्य के 6 शहरों पाली, टोंक, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं झुंझुंनू में 2 हजार 160 करोड़ रुपये के निवेश से शहरी जल प्रबंधन का कार्य करवाया जायेगा।
- राज्य में शेष 5 शहरों के मास्टर प्लान लागू किये जायेंगे।
- राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप बिल लाया जायेगा।
- Rajasthan Town Planning and Urban Development Bill लाया जायेगा।
- Rajasthan Urban Land (Certification of Title) Bill लाया जायेगा।
- Heritage Conservation Bill लाया जायेगा।
- मानसरोवर से चांदपोल तक निर्माणाधीन मेट्रो लाईन का बड़ी चौपड़ तक 1 हजार 126 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार किया जायेगा।

ग्रामीण आधारभूत संरचनाः

- बीपीएल परिवारों हेतु स्वावलंबन योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत लाभों की योजनाओं का convergence
- जनजाति क्षेत्र के लिए 1000 करोड़, मेवात, मगरा तथा डांग क्षेत्र (प्रत्येक के लिए) 300 करोड़ एवं देवनारायण योजना क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पैकेज।
- गुरू गोवलकर योजना पुनः शुरु की जायेगी।
- नरेगा से convergence कर RUB का निर्माण।
- 18 करोड़ रुपये की लागत से 55 नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें विकसित की जायेंगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

- भरतपुर क्षेत्र में एक नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा एक कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
- राजस्थान भंडार व्यवस्था निगम द्वारा नॉबार्ड की सहायता से 3 लाख 10 हजार मेट्रिक भंडारण क्षमता के गोदामों का 150 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

सामाजिक आधारभूत संरचनाः

- 4 हजार 850 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, 41 हजार 932 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत तथा 611 आंगनबाड़ी भवनों के उन्नयन का कार्य 276 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
- अनुसूचित के 6 एवं अनुसूचित जनजाति के 5 नये छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।
- राज्य के 8 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में अल्पसंख्यक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना के तहत शिक्षा एवं स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ किया जायेगा।
- मदरसों में शिक्षक एवं शिक्षण सामग्री हेतु 58 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- एक हजार 79 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा, इसके अतिरिक्त 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण भी किया जायेगा।
- भरतपुर, अलवर, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली एवं भीलवाड़ा में 7 नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले जायेंगे, जिनमें कुल 700 सीटें होंगी।
- 45 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर एवं झालावाड़ जिले में टरसरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित किये जायेंगे, जिनमें प्रत्येक की लागत 45 करोड़ रुपये।
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में राज्यस्तरीय कैंसर चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र 120 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जायेगा।
- बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में Super Speciality Wing की स्थापना 150 करोड़ रुपये (प्रति विंग) की लागत से की जायेगी।
- स्नॉतक एवं स्नातकोत्तर में skill के विकास के लिए PPP मोड पर skill university की स्थापना की जायेगी।
- राजऋषि भर्तहरी विश्वविद्यालय को 4 करोड़ 88 लाख रुपये, महाराज सूरजमल विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपये तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय को 4 करोड़ 18 लाख रुपये।
- ऐसे महाविद्यालय जहां 5500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं का, संकायवार पुनर्गठन कर 15 नये महाविद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।
- धौलपुर, बारां सहित तीन जिलों में स्ववित्त पोषित आधार पर तीन नये अभियांत्रिकी महाविद्यालय।

http://finance.rajasthan.gov.in

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में स्वीकृत निर्माण कार्य लागत वृद्धि की वजह से अपूर्ण रहे हैं उनको पूरा कराने के लिए 244 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 940 नये प्राथमिक विद्यालयों के भवन, 2609 अतिरिक्त कक्षा कक्षों, बालिकाओं हेतु 678 शौचालयों एवं 155 पेयजल सुविधाओं का निर्माण कराया जायेगा।
- हनुमानगढ़ एवं डूगरपुर जिले में प्रत्येक दो खंड स्तरीय शिक्षक–प्रशिक्षक केन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्राओं हेतु 35 शारदे बालिका छात्रावासों का संचालन किया जायेगा।

प्रशासनिक आधारभूत संरचनाः

- राज्य की परिसंपत्तियों के पुनर्विकास हेतु NBCC के साथ मिलकर joint venture company की स्थापना की जायेगी।

आर्थिक वृद्धि, रोजगार और समावेशी विकास

निवेश प्रोत्साहन नीतिः

- नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2014 लागू की जायेगी। इसका उद्देश्य नये निवेश को प्रोत्साहित करना; बड़े और अधिक रोजगार वाले निवेशकों के लिए customised package
- राज्य में रक्षा एवं रक्षा ऑफ सेट के क्षेत्र में FDI हेतु विशेष नीति।
- Revised Textile Promotion Policy लाई जायेगी।
- Electronic System Design and Manufacturing Sector के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना।
- Revised सिरामिक उद्योग हेतु सिरामिक प्रमोशन पॉलिसी लायी जायेगी।
- खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत 5 साल में 1000 करोड़ रुपये का निवेश।
- RIICO द्वारा skills development hubs विकसित किये जायेंगे।
- श्रम नियोजन की rigidities को कम करने के लिए विभिन्न कानूनों में संशाधन किया जायेगा।

पैट्रोलियम एवं खनिजः

- नई खनिज नीति लागू की जायेगी।
- Tribal Area की खनिज नीति का पुनरावलोकन किया जायेगा।
- जिप्सम की खनिज हेतु बिना captive use की शर्त के प्रधान खनिजों की तरह खनन पट्टा।
- बाड़मेर रिफाईनरी परियोजना का हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के साथ renegotiation
- Rajasthan State Petroleum Corporation द्वारा GAIL के साथ joint venture के तहत शहरों में सिटि गैस का वितरण। वाहनों को CNG हेतु mother station की स्थापना।

कृषिः

- वर्ष 2014–15 में किसानों के लिए 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 50 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 50 हजार मैट्रिक टन सिंगल सुपरफास्फेट का अग्रिम भंडारण किया जायेगा।
- बंजर भूमि के विकास हेतु 1 हजार 392 करोड़ रुपये का कार्य।
- सिंचाई हेतु 5 HP के सौलर पंप की स्थापना करने पर राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि देय होगी।
- किसानों द्वारा बैंको से equipment तथा भू–विकास के लिए मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान।

पशुपालनः

- पशु चिकित्सा सुविधा हेतु कॉल सेंटर की मार्फत मोबाईल वेटेनरी सेवा टोंक जिले की 2 तहसीलों में पायलट बेसिस पर प्रारंभ की जायेगी।
- पशुओं की नस्ल सुधार हेतु निजी सहभागिता से पशु नस्ल सुधार योजना प्रारंभ की जायेगी जो परिणाम आधारित होगी।
- गोपालन विभाग की स्थापना।

सहकारिताः

- राज्य के किसानों को लघु अवधि फसली ऋण 4 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध कराने पर सहकारी बैंकों के लिए 150 रुपये का ब्याज अनुदान।
- 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।

खाद्य सुरक्षाः

- पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

वन एवं पर्यावरणः

- चूरू में Nature Park की स्थापना।

पर्यटनः

- नई पर्यटन इकाई नीति लाई जायेगी।
- Mega Desert Tourism Circuit बनाया जायेगा।
- पर्यटन से संबंधित आधारभूत सुविधाओं हेतु GIS Mapping
- राजस्थान दिवस समारोह पूर्व की भांति वृहद स्तर पर बनाया जायेगा।
- राज्य में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम।

पुरातत्वः

- भरतपुर के खानवां गाँव में राणा सांगा स्मारक एवं पैनोरमा, वैर किला एवं सफेद महल, भरतपुर के जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य 3 करोड़ 55 लाख रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
- राजकीय संग्रहालय माउंट आबू का 1 करोड़ 20 लाख रुपये एवं धानक्या गाँव में पंडित दीनदयाल स्मृति संग्रहालय का 1 करोड़ 91 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य करवाया जायेगा।
- प्राचीन अवशेष मऊबोरदा, झालावाड़ में 3 करोड़ 53 लाख रुपये एवं दलहनपुर, झालावाड़ में 6 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य करवाये जायेंगे।
- रविन्द्र मंच, जयपुर के नवीनीकरण एवं सुधार कार्य हेतु वर्ष 2014*15 में 3 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान है।
- रविन्द्र मंच, बीकानेर के लिए कार्ययोजना बनाकर सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जायेगा।

देवस्थानः

- चिन्हित मंदिरों का मास्टर प्लान बनाकर जीर्णोद्धार
- बूढा पुष्कर नाथद्वारा तथा कैलादेवी के विकास कार्य
- रामदेवरा, खाटूश्यामजी तथा अन्य पद यात्राओं के लिए मार्गों का विकास
- विभिन्न योजनाओं के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान।

कौशल विकासः

- 45 ब्लॉक्स में राजकीय ITI स्थापित किये जायेंगे।
- स्वरोजगार के लिए कुछ ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट्स दिये जायेंगे।
- Labour Market Information System प्रणाली लागू की जायेगी।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवार के एक योग्य छात्र–छात्रा को निर्माण श्रमिक कौशल कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- 15 लाख युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्वयंसहायता समूह के माध्यम से रोजगार सृजनः

- वर्ष 2014–15 में 15 हजार स्वयंसहायता समूहों द्वारा 2 लाख गरीब महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।
- 9 हजार गरीब महिला किसानों को उन्नत तकनीक एवं विस्तृत प्रशिक्षण करवाकर उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से 30 से 40 हजार रुपये की वार्षिक आय में वृद्धि की जायेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

- निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच योजना का पुनर्गठन। OPD रोगियों के लिए निःशुल्क दवा एवं जांच तथा IPD रोगियों के लिए बीमा योजना। प्रति परिवार 30000 हजार रुपये (चयनित बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये) यह सुविधा समस्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्ड होल्डर्स को उपलब्ध।
- राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों की Birth Defect, Deficiency Diseases, Development Delay की जांच करवाई जायेगी।
- 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में रहने वाले निर्धन एवं अस्थाई प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी।
- मानव अंग प्रत्यारोपण कार्य संचालन के लिए राज्य स्तर पर राज्य रजिस्ट्री प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षाः

- जयपुर में Institute of Traumatology and Orthopaedics के संचालन के लिए मशीनरी एवं औजार हेतु 15 करोड़ 75 लाख का प्रावधान।

आयुर्वेदः

- नाहरगढ़ वन औषधि उद्यान, बारां की स्थापना की जायेगी।

शिक्षाः

- केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से 66 मॉडल स्कूल का संचालन किया जायेगा।
- स्थानीय इलाके में आस पास के स्कूलों का integration
- निर्धारित norms के अनुसार 4 हजार 900 माध्यमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन करना
- विद्यार्थियों को पास की पंचायत या शहर के उच्च माध्यमिक विद्यालय तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाऊचर की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु सभी विषयों में रिडिंग कैंपेन चलाया जायेगा।
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को नकद राशि के स्थान पर साईकिल दी जायेगी।
- नेशनल टेलेंट सर्च परीक्षा में राजस्थान के राजकीय विद्यालय से चयनित विद्यार्थियों को scholarship
- कक्षा 9 एवं 11 के पश्चात विद्यार्थियों हेतु विज्ञान व गणित विषय में राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रथम सौ चयनित विद्यार्थियों का scholarship
- वर्ष 2014–15 में कमजोर व असुविधाग्रस्त वर्ग के 3 लाख 50 हजार विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा जिस पर 162 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

- वर्ष 2014–15 में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु 70 विद्यालयों के माध्यम से भारत सरकार की सहायता से संचालित किये जायेंगे।
- राजस्थान स्कूल एजुकेशन पोर्टल की स्थापना की जायेगी।
- अध्यापक पद पर भर्ती हेतु एक ही परीक्षा Recruitment-cum-Eligibility Exam for Teacher (REET) करवायी जायेगी।

उच्च शिक्षाः

- IIM, IIT, NIT व इस स्तर के अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होने वाले राजस्थान के सभी पात्र विद्यार्थियों को स्कालरशिप दी जायेगी।
- सभी पोस्ट–मेट्रिक एवं महाविद्यालयत स्तर की स्कालरशिप योजनाओं के प्रबंधन हेतु Rajasthan State Higher Education Foundation का गठन किया जायेगा।
- राज्य में कृषि संकाय में स्नॉतक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रही छात्राओं की स्कालरशिप बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जायेगी।

महिला एवं बाल विकासः

- 100 चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिशुपालना गृह के रूप में विकसित किया जायेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रोत्साहन हेतु मां यशोदा अवार्ड शुरू किया जायेगा।
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन करने वाले NGOs को दी जा रही सहायता राशि में वर्कलोड के आधार पर 30 से 45 हजार रुपये की वृद्धि की जायेगी।
- गुजरात की PADKAR योजना की तर्ज पर महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की योजना

युवा मामले एवं खेलः

- समस्त पंचायत समितियों पर ग्रामीण युवा केन्द्रों की स्थापना।
- PPP आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक Squash Academy की स्थापना।
- करणी सिंह स्टेडियम, वेलड्राम स्पोर्टस कांप्लेक्स तथा सार्दुल खेल विद्यालय के संचालन के लिए एक संस्था का गठन
- जयपुर में गोल्फ कोर्स की स्थापना।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताः

- राजकीय विभागों द्वारा संचालित समस्त छात्रावासों, नारी निकेतन, आवासीय विद्यालय में देय मैस भत्ते की राशि को बढ़ाकर 1 हजार 900 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा।
- राजकीय छात्रावासों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए 3 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in

- भारत सरकार की सहायता से राज्य में विशेष योग्यजनों के पुनर्वास हेतु समग्र क्षेत्रीय केन्द्र 20 करोड़ रुपये की लागत से खोला जायेगा।
- भारत सरकार की सहायता से राज्य में स्टेट लेवल स्पाईनल इंजरी सेंटर खोला जायेगा।
- विशेषयोग्यजन का चिन्हिकरण करने के लिए सर्वे किया जायेगा।
- वर्ष 2014–15 में कृत्रिम अंग अथवा उपकरण के लिए 5 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

जनजाति क्षेत्रः

- जनजाति क्षेत्र में 250 नये मां–बाड़ी केन्द्र और खोले जायेंगे।
- अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 20 कन्या आश्रम छात्रावास खोले जायेंगे।

सुशासन एवं राजकीय सेवाओं की बेहतर डिलिवरी

- भामाशाह योजना को पुनः लागू किया जायेगा। कोर बैकिंग enabled bank खातों द्वारा cash and non cash benefit transfer to beneficiaries of govern schemes 600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान।
- 16 अगस्त से राज्य में भामाशाह के लिए नामांकन अभियान (उदयपुर संभाग के लिए 1 सितंबर)
- महिला मुखिया बीपीएल परिवार को 2000 रुपये का दो किश्तों में खातों में transfer
- वर्ष 2014–15 में राजनेट परियोजना द्वारा 9 हजार 177 ग्राम पंचातयों को जोड़ा जायेगा।
- ई–मित्र केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही 50 सुविधाओं को बढ़ाकर 100 किया जायेगा।
- प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक आई टी सर्विस केन्द्र खोला जायेगा।
- विडियो कांफ्रेसिंग सुविधा को पंचायत समिति स्तर पर बढ़ाया जायेगा।
- राज्य के लिए एक ही GIS Platform तैयार किया जायेगा। वर्ष 2014 –15 में 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- गुड गवर्नेंस बिल लाया जायेगा।
- सभी संभागीय मुख्यालयों में land bank को गूगल मैप पर तैयार करवाया जायेगा।
- राजस्थान आवासन मंडल सहित राज्य की सभी आवासीय योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन लेने की व्यवस्था
- भू–खंडों के ई–आक्शन की व्यवस्था लागू की जायेगी।
- विभिन्न विभागों के छात्रावासों के संचालन हेतु एक स्वायत्तशाषी संस्था की स्थापना की जायेगी।
- परिवहन विभाग का कंप्यूटराईजेशन।
- Corporate Social Responsibility Portal की स्थापना।

गृहः

- पुलिस परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु 23 करोड़ रुपये के नये वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।
- Integrated Jail Development Plan के तहत चयनित जेलों का सुदृढ़ीकरण।
- उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर संभाग मुख्यालयों पर महिला बंदी सुधार गृहों का 37 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।
- जयपुर में पोलीग्राफ सेंटर की स्थापना तथा बीकानेर एवं जयपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

न्याय प्रशासनः

- राज्य के कानूनों एवं नियमों का digitisation and codification
- जयपुर, जोधपुर स्थित केन्द्रीय कारागार को राजस्थान उच्च न्यायालय से विडियो कांफ्रेसिंग सिस्टम से जोड़ा जायेगा।
- भवानीमंडी में नियमित ADJ कोर्ट खोला जायेगा।
- झालावाड़ के जिला न्यायालय परिसर में आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।

राजस्वः

- 48 उपखंड कार्यालय के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
- उपनिवेश तहसील भादरा का सृजन
- 800 करोड़ रुपये की लागत से भूदस्तावेजों लेखन तथा नक्शों का कंप्यूटराईजेशन।
- पटवारियों को tablets
- चरणबद्ध तरीके से कलक्ट्रेट परिसर का मिनि सचिवालय के रूप में आधुनिकीकरण किया जायेगा।

कर प्रशासनः

- सभी पंजीयन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण।
- कर संबंधी प्रमुख विभागों के कार्यालयों का आधुनिकीकरण।

पत्रकार कल्याणः

- अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 2 लाख रुपये के बीमा धन की standard medical policy साधारण बीमा निधि द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू मेडिक्लेम पॉलिसी की वित्तीय सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जायेगी।
- अधिस्वीकृत फोटो जर्नलिस्ट के लिए पृथक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी जारी की जायेगी।

कर्मचारी कल्याणः

- भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ–साथ राज्य सरकार में की गई सेवा के बदले भी पारिवारिक पेंशन दी जायेगी।
- राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना – 2014 लायी जायेगी।
- दो पारिवारिक पेंशन के पात्र बच्चों की अधिकतम पारिवारिक पेंशन की सीमा में तीन गुना से ज्यादा की वृद्धि।
- Rajasthan Short Tenure (Fixed Period) Service Rules लागू किये जायेंगे।
- चयनित post जहां उच्च पद पर सीधी भर्ती है वहां probation trainee की बजाय probation पर नियुक्ति।

वित्तीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिति

- पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया जायेगा।
- FRBM Act में संशोधन कर राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि का सजृन किया जायेगा।
- RSMM, RIICO and RSRDC में भी राज्य इक्विटि का 10 से 25 प्रतिशत तक विनिवेश कर स्टॉक एक्सचेंज कराया जायेगा।

संशोधित बजट वर्ष 2014–15 के कर प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु

सरलीकरण और सुविधायें

वाणिज्यिक कर विभाग

- **ई–गवर्नेंस**
  - 31, मार्च 2016 तक VAT संबंधी समस्त कार्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से।
  - 1 अप्रेल, 2015 से समस्त कर निर्धारण ऑनलाइन किये जायेंगे।
  - 30 जून, 2015 तक मांग संग्रहण पंजिका ऑनलाइन की जायेगी।
  - वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित समस्त देय राशि e-GRAS से जमा कराया जाना अनिवार्य।
  - व्यवहारियों को इलैक्ट्रोनिक रिफण्ड।
  - 1 अक्टूबर, 2014 से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त, पंजीयन प्रमाण पत्र, कर मुक्ति प्रमाण पत्र एवं कर चुकता प्रमाण पत्र।
  - पंजीयन, पंजीयन में संशोधन व निरस्तीकरण, डुप्लीकेट पंजीयन, कर निर्धारण आदेश में संशोधन, प्रशमन योजना, व Ex-parte पारित कर निर्धारण आदेश खोलने हेतु आवेदन 1 अक्टूबर, 2014 से इलेक्ट्रोनिक माध्यम से।
- विनिर्माताओं द्वारा VAT हेतु अनिवार्य पंजीयन की पण्यावर्त सीमा 2 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये।
- Form VAT-10A में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा भी 9 माह ।
- राजकीय क्रय पर भुगतान संबंधित TDS के प्रावधान समाप्त ।
- विवरणी जमा करने के बाद **hard copy** प्रस्तुत करने की बाध्यता समाप्त।
- समस्त संभागीय कार्यालयों में PPP मोड में व्यवहारी सुविधा केन्द्र।
- एक ही आवेदन पत्र के आधार पर **VAT, Entry Tax, Luxury Tax** व **CST** के तहत पंजीयन।
- कार्य संविदा व्यवहारियों से संबंधित forms में संशोधन ।
- Awarders द्वारा TDS काटे जाने के बदले कार्य संविदा ठेकेदारों को स्वयं अग्रिम कर जमा कराने का विकल्प।
- त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरणियों का सरलीकरण।
- विवरणी देरी से जमा करने पर देय विलम्ब शुल्क संबंधित प्रावधानों में संशोधन ।
- IT Act के तहत लेखा परीक्षा की परिधि में आने वाले व्यवहारियों हेतु वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु 9 माह का समय।
- सर्राफा एवं जवाहरात, लघु सीमेंट संयंत्र, ढाबा एवं भोजनालयों, पैट्रोलियम आउटलेट्स आदि व्यवहारियों की composition schemes का सरलीकरण किया गया है।
- सर्राफा तथा जैम्स स्टोन के dealers को composition schemes के तहत लेट फीस जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

http://finance.rajasthan.gov.in

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- एक लाख रूपये से अधिक राशि की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान केवल ई–स्टाम्प के माध्यम से।
- 91 पूर्णकालिक उपपंजीयक कार्यालयों में ई–स्टाम्प की सुविधा।
- स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क के भुगतान की वैकल्पिक सुविधाएं–डिमाण्ड ड्राफ्ट, पे–ऑर्डर, ई–पेमेण्ट।

परिवहन

- अन्य राज्यों के व्यवसायिक वाहनों के राजस्थान में उपयोग के लिये आन–लाइन कर जमा करने की व्यवस्था।
-

विवादों को कम करने सम्बन्धी प्रस्ताव

वाणिज्यिक कर विभाग

- राजस्थान कर बोर्ड में सेवानिवृत IAS तथा RHJS सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान ।
- वर्ष 2009–10 व उससे पूर्व के वर्षों के बकाया घोषणा पत्रों से संबंधित मांग व मार्बल पर क्रय कर जमा कराने की शर्त पर ब्याज को माफ करने हेतु नवीन amnesty scheme जारी की गई है।
- वैट अधिनियम की अनुसूची–5 में वस्तुओं की विशेष सूची दी गई जिससे वस्तुओं के वर्गीकरण में होने वाले विवादों को कम किया जा सके।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को 25000/– रू. तक ब्याज व शास्ति माफी के अधिकार।
- एकपक्षीय निर्णयों में कलक्टर (मुद्रांक) को पुनः सुनवाई का अधिकार।
- स्टाम्प ड्यूटी की मांग पर ब्याज की दर 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती से घटाकर 12 प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवर्ती।
- शास्ति आरोपण की शक्तियां विनियमित की गई।

कर में राहत

150 करोड रूपये की कर राहत।

वाणिज्यिक कर विभाग

- रीठा, शिकाकाई, Work-Book व Bio-gas की बिक्री को करमुक्त किया गया है।
- एस. एस. वायर, एस. एस. वायर रॉड, पावर टूल्स, टोनर, तेल रहित चावल की भूसी पर पूर्ववर्ती दिनांक से कर राहत ।
- restaurants द्वारा बेचे जाने वाले takeaway cooked food, Desert व Room Coolers की body पर VAT दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत।
- तिलहन पर देय VAT दर 3 प्रतिशत ।
- Used Motor Vehicles की बिक्री पर 2.5 प्रतिशत के बराबर VAT।

http://finance.rajasthan.gov.in

- Builders and developers हेतु composition scheme।
- राज्य के भीतर माल खरीदने वाले ठेकेदारों को Exemption fee में राहत।
- intra-state हवाई सेवा उपलब्ध कराने व राज्य में Air Service Hub स्थापित करने वाली Airlines को ATF पर VAT की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत।
- RIPS के अन्तर्गत होटल उद्योग को देय विद्युत शुल्क की छूट का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत शुल्क अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित।
- वाहन निर्माताओं को उनके द्वारा क्रय टायर व ट्यूब पर प्रवेश कर से छूट।
- Wind mill manufacturers को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त माल पर entry tax में छूट।
- पर्यटन विभाग में पंजीकृत Paying guest house व 5 कमरों तक के heritage hotels luxury tax से मुक्त।
- Heritage hotels को off-season में विलासिता कर में 50 प्रतिशत की छूट।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. श्रेणी की महिलाओं के पक्ष में विक्रय पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत।
- स्थानीय निकायों की भूमि की लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी निकाय के आवंटित /विक्रित मामलों में स्टाम्प ड्यूटी मार्केट वेल्यू के स्थान पर कम दर से ली जायेगी:
  - आवंटन विक्रय के मामले में स्थानीय निकायों की भूमि की लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी निकाय द्वारा ली गई राशि व दो वर्ष के औसत किराये पर।
  - कृषि भूमि के नियमन के बाद जारी पट्टों पर आरक्षित मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी।
  - मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी मूल आंवटन राशि की डेढ गुणा राशि पर।
- बहुमंजिला भवनों में फ्लेट्स के पुनः विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी दो प्रतिशत, दो वर्ष में पुनः विक्रय पर तीन प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में पुनः विक्रय पर चार प्रतिशत।
- अचल सम्पति के बेचने का अधिकार देने वाली बिना प्रतिफल की पावर ऑफ अटार्नी पर अधिकतम पंजीयन शुल्क पचास हजार से घटाकर दस हजार रूपये।
- दस वर्ष तक के अग्रिम राशि के साथ किरायेनामे पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत।
- औद्योगिक/संस्थानिक/फॉर्म हाउस/मैरिज गार्डन/रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भूमियों की बाजार दरें घटाकर युक्तिसंगत की गई।
- भू–उपयोग परिवर्तन आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर भू–उपयोग परिवर्तन के शुल्क पर दस प्रतिशत की गई।
- Amalgamation/Demerger/Re-construction के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी को तर्कसंगत किया गया।

राजस्व वृद्धि के उपाय

350 करोड रूपये की अतिरिक्त आय सम्भावित।

वाणिज्यिक कर विभाग

http://finance.rajasthan.gov.in

- कुछ साबुत मसालों, 1000 रूपये से अधिक मूल्य के handicraft, 100 रूपये प्रति मीटर से अधिक कीमत के textile furnishing व 500 रूपये प्रति मीटर से अधिक कीमत के textile suiting व shirting की बिक्री पर 5 प्रतिशत VAT।
- 14.2.2008 के बाद स्थापित MSME को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की अन्तर्राजीय बिक्री पर CST की दर 1 प्रतिशत ।
- Marble पर VAT दरें weight व size के आधार पर निर्धारित होगी।
- UPS की बिक्री पर 14 प्रतिशत VAT ।
- 1 अगस्त, 2014 से DTH, Cable TV व Video Game Parlours पर 10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर।
- Cinema व Multiplexes पर 30 प्रतिशत की दर से 1 अगस्त, 2014 से मनोरंजन कर। 1 लाख तक के आबादी वाले कस्बों के cinema halls और 75 रूपये तक के tickets पर मनोरंजन कर से छूट।
- प्रवेश कर दर वैट दर के बराबर की गई है। LNG, Industrial fuels, Light Diesel oil पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर।
- Heritage-Grand hotels पर 10 प्रतिशत विलासिता कर।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- निर्मित भाग के मूल्यांकन की दरें संशोधित की गई।
- डी.एल.सी. द्वारा किसी वर्ष के लिए भूमि की दरें पुनरीक्षित नहीं किये जाने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि।

परिवहन विभाग

- 200 सीसी से अधिक शक्ति की मोटर साईकिलों पर एकबारीय कर में वृद्धि।
- हल्के माल यान, मोटर कैब एवं टैक्सी मैक्सी कैब को एकमुश्त कर छह किस्तों में जमा कराना होगा।
- मध्यम श्रेणी की कारों पर एक प्रतिशत एकबारीय कर में वृद्धि।
- डीजल चालित कारों और महंगे वाहनों पर ईंधन खपत के कारण अधिक ग्रीन टैक्स।

अन्य

- GST Consultation Committee का गठन।
- वैट अधिनियम के तहत रिफण्ड पर ब्याज वित्तीय वर्ष समाप्त होने से देय।
- एक नया प्रवेश कर अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित।
- देरी से VAT जमा कराने पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की चक्रवर्ति ब्याज निर्धारित।
- आधारभूत संरचना हेतु Cess प्रस्तावित।

http://finance.rajasthan.gov.in